प्रकाशन का 45 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 45 अंक – 3 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 13 – 20 जनवरी 2020 मूल्य पांच रूपए

बिन्दल की ताजपोशी के बाद बदलते भाजपा के समीकरण

भाजपा का बदलता सूरते हाल

शिमला/शैल। अन्ततः डा. राजीव बिन्दल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बन ही गये हैं और उन्होंने इसके लिये प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। बिन्दल के बनने मे 'अन्ततः, ही' इसलिये लग रहा है क्योंकि तीन बार इस चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाई गयीं। जो नाम अध्यक्ष पद की रेस में सामने आ रहे थे उनमें शुरू मे तो उनका नाम कहीं आ ही नही रहा था। बिलासपुर से तीन तीन नाम उछल रहे थे। अन्त में जब धूमल का नाम उछला तब इसके साथ बिन्दल और इन्दु गोस्वामी के नाम भी चर्चा में आ गये। जब बिन्दल बन गये तब उनके समारोह में धमूल और शान्ता शामिल नही हो पाये। दोनो के लिखित सन्देश ही कार्यकर्ताओं को पढ़कर सुनाये गये। लेकिन पोखरियाल के साथ ताजपोशी में शामिल हुए परन्तु इस अवसर में अनुराग का मुख्यमन्त्री से ''हाथ मिलाना या ना मिलाना'' जिस तरह विवादित समाचार बन गया और उसपर यह स्पष्टीकरण देना पड़ गया कि ''वायरल हुआ फोटो एडिट किया गया है'' इससे इन बदलते समीकरणों की आहट साफ सुनाई देती है। इस आहट को नव निर्वाचित अध्यक्ष बिन्दल की इस चेतावनी ने कि मामले पर एफआईआर दर्ज करवायी जा सकती है और मुखर कर दिया है।

अनुराग का ''हाथ मिलाना या न मिलाना'' भाजपा का अन्दरूनी मामला है और इसके एडिट होकर वायरल होने के स्पष्टीकरण से यह अपने में यहीं पर ही समाप्त भी हो जाता है। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया के मंचो पर आयी प्रतिक्रियाओं में जिस तरह से इसे अनुराग की बद दिमागी कहा तथा उनको यह प्रोटोकॉल समझाया गया कि केन्द्र के राज्य मन्त्री का पद मुख्यमन्त्री से छोटा होता है, से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिन्दल का ताजपोशी से निश्चित रूप से भाजपा के भीतरी समीकरणों में एक बहुत बड़ी उथल पुथल शुरू हो गयी है। हाथ मिलाना अन्दररूनी मामला था और इस समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त दूसरे लोगों के नाम पर केवल मीडिया के ही लोग थे। फोटो एडिट होकर वायरल होना या तो पार्टी के ही लोगों का काम है या मीडिया के उन लोगों का जो सत्ता के नज़दीक हैं फिर अनुराग को अपरोक्ष में चेतावनी देने वाली पोस्टें भी उन्ही लोगों से आयी हैं जो अपने को मुख्यमन्त्री का नजदीकी और सलाहकार होने का दम भरते हैं। इसलिये यह विवाद जो पहले ही दिन खड़ा हो गया यह सुनियोजित था या अचानक घट गया यह खुलासा होने में अभी समय लगेगा। क्योंकि इसी के साथ पूर्व में घट चुके बहुत सारे प्रकरण फिर से चर्चा में आ गये हैं। धर्मशाला में आयोजित हुई इन्वैस्टर मीट के दौरान यहां के क्रिकेट स्टेडियम का जिक्र तक न होना और उसके बाद जब अनुराग मण्डी जाते हैं तो वहां के कार्यकर्ताओं को शिमला बुला लेना तथा शिमला आने पर मुख्यमन्त्री का मण्डी चले जाना एकदम फिर सामने आ गये हैं क्योंकि जंजैहली के एसडीएम ऑफिस प्रकरण में धूमल जयराम के रिश्तो में कड़वाहट तब जगजाहिर हो गयी थी जब धूमल को यह कहना पड़ गया था कि सरकार चाहे तो सीआईडी से जांच करवा सकती है।

अब बिन्दल के पार्टी अध्यक्ष बनने से नये विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य हो जाता है और इसी के साथ मन्त्रीयों के खाली चले आ रहे दोनो पदों को भी आगे टालना संभव नहीं होगा। इन सारी नियुक्तियों में अब बिन्दल, जयराम, अनुराग और इन सबसे उपर नड्डा की राय की भूमिका रहेगी। जब सरकार बनी थी तब जयराम और नड्डा बराबर की रेस में थे मुख्यमन्त्री बनने के लिये। लेकिन उसी रेस मे बिन्दल भी शामिल थे बल्कि उनका बाबा ''राम रहिम'' से आशीर्वाद लेना भी इसी कड़ी में जोड़ कर देखा गया था। यदि बिन्दल के खिलाफ सोलन वाला लंबित न होता तो उनको रोक पाना आसान नही होता। राजनीतिक विश्लेष्कों की नजर में सोफत का भाजपा में शामिल होना भी बिन्दल पर नजर रखने के रूप में देखा जा रहा है। सोफत और बिन्दल के रिश्ते अपरोक्ष में अदालत तक पहुंचे हुए हैं और अभी तब लंबित चल रहे है। इन्ही मामलों के चलते बिन्दल को एक समय मन्त्री पद छोड़ने की स्थिति पैदा हो गयी थी। तब धूमल पूरी तरह बिन्दल के साथ खड़े थे आज बदले परिवेश में बिन्दल को नड्डा का प्रतिनिधि माना जा रहा है। नड्डा इस समय पार्टी के शिखर पर हैं लेकिन कल को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नड्डा को अपना कद मोदी – शाह से भी ऊपर ले जाना होगा अन्यथा इस पारी के बाद या तो केन्द्र में दूसरे तीसरे स्थान या फिर प्रदेश के पहले स्थान में से किसी एक का विकल्प चुनना होगा। इस परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है कि आज प्रदेश के संद्धर्भ में नड्डा, बिन्दल के माध्यम से आप्रेट करेंगे क्योंकि इन दोनों के पास अनुराग की अपेक्षा कम समय उपलब्ध रहेगा। इस समय देश में जो राजनीतिक वातावरण बनता जा रहा है उसमें राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद इसमें तेजी आयेगी जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश पर पड़ेगा। क्योंकि अभी से पार्टी के भीतर संघ और गैर संघ की लाईनो पर लाभबन्दी के संकेत उभरने शुरू हो गये हैं।

मुख्यमंत्री ने फोरलेन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही सभी फोरलेन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके और लोगों को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। वह प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय उच्च मार्गों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इन परियोजनाओं के कारण हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े मुद्दों का निर्धारण करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग, संबंधित जिला प्रशासन और ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की कमेटियां गठित की जाएंगी। उन्होंने संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे कार्यान्वयन संस्थाओं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठकें आयोजित करें ताकि इन परियोजनाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान जल्द सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि कैथलीघाट से ढली बाईपास तक सड़क का कार्य पूरा करने के लिए इस मार्ग पर शेष बचे वृक्षों को काटने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने ढली और छकड़याल क्षेत्रों में 80 ढांचों को हटाने और शेष बची 4.65 हैक्टेयर भूमि का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परवाणु से सोलन फोरलेन सड़क का कार्य समाप्ति पर है, जिसे मैसर्ज जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। उन्होंने बड़ा गांव में भूमि अधिग्रहण के लंबित मामले और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के हक में भूमि के इंतकाल के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर सोलन से कैथलीघाट तक फोरलेन का कार्य मैसर्ज ऐरफ इंजीनियर्ज प्राईवेट लिमिटेड को सौंपा गया है जिसको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉम्पिंग स्थलों का चयन शीघ्र किया जाए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पक्ष में भूमि का इंतकाल किया जाए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 पर कीरतपुर से नेरचैक तक 30.66 किलोमीटर सड़क की ब्राउनफील्ड एलाईनमेंट का कार्य मैसर्ज सीगेल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है और कंपनी ने इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा कि नौलखा से डडौर तक ढांचों को हटाने के कार्य में विलम्ब चिंता का विषय है और इस पर जल्द ही कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को निर्देश दिए कि कांगू से 132 केवी ट्रांसमिशन लाईन के टावर अविलम्ब बजौरा को बदले जाएं।

मैसर्ज के.एम.सी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड को सौंपे गए नेरचौक से पंडोह सड़क के कार्य में धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके कारण आम जनता और पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग को औट गांव से अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए ताकि इस परियोजना के कार्य को गति मिल सके।

उन्होंने कहा कि टकोली से कुल्लू तक सड़क के कार्य को गति प्रदान करने के लिए दो 132 केवी ट्रांसमिशन लाईन टावरों को दो माह के अंदर अन्यत्र बदला जाए। उन्होंने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को निर्देश दिए कि ठेकेदारों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाए ताकि सुरंग निर्माण का कार्य निर्बाध रूप से किया जा सके। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 पर कुल्लू-मनाली के बीच सड़क के किनारे सुविधाएं उपलब्ध करवाए, क्योंकि इस मार्ग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि शिमला-मटौर, पठानकोट-मण्डी, कैंची मोड़-नेरचैक और केथलीघाट-ढली सड़क का समुचित रख-रखाव किया जाए क्योंकि ये राज्य के प्रमुख सड़क मार्ग हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से मामला उठाया गया है कि इन उच्च मार्गों को राज्य सरकार के अधीन सौंपा जाए, ताकि इन सड़कों का कार्य किसी कंपनी को सौंपने अथवा निर्माण कार्य पूरा होने तक उचित रख-रखाव किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के निष्पादन में किसी भी प्रकार का ढीलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य में राष्ट्रीय उच्च मार्गों और भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

लोक निर्माण विभाग के सचिव जे.सी. शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

338 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्थाई नियुक्ति देगी प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने जानकारी दी कि प्रदेश के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में 338 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सी.एच.ओ.) को अस्थाई नियुक्ति दी जाएगी। इन पदों को बीएससी नर्सिंग कर चुकी उन उम्मीदवारों से भरा जाएगा जिन्होंने ब्रिज कोर्स पूरा कर लिया है।

उन्होंने कहा कि बीएससी नर्सिंग करने वालों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स करवाया गया है। पहले बैच को राज्य के स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में नियुक्ति दी जाएगी जिन्हें आरोग्य केन्द्रों के रूप में स्तरोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि इन पदों को भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एच.एल.एल के माध्यम से भरा जाएगा जिसके लिए प्रदेश सरकार ने करार किया है।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि सी.एच.ओ. द्वारा 12 संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों से सम्बन्धित अनिवार्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सी.एच.ओ. के माध्यम से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सीमांत परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में और सुधार किया जाएगा। इससे इन परिवारों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल के लिए अपनी जेब से खर्च की जानी वाली राशि में कमी आएगी और प्राथमिक देखभाल स्तर पर जन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोग में भी बढ़ोतरी होगी। इससे द्वितीय और तृतीय स्तर पर देखभाल करने वाली संस्थाओं पर कार्यबोझ में भी कमी आएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सी.एच.ओ. तैनात करने से निवारण और प्रोत्साहक स्वास्थ्य जन गतिविधियां सुदृढ़ होंगी। इससे स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सूचकांकों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। सी.एच.ओ. समुदायों के देखभाल और स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों की जानकारी के लिए प्रथम केन्द्र होगा क्योंकि वे लोगों को असानी से उपलब्ध होंगे।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को घर-द्वार के समीप बहुत ही कम दरों पर आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि उप-केन्द्रों उपलब्ध व्यापक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।

हिमाचल भवन में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

शिमला/शैल। नई दिल्ली के हिमाचल भवन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासियों, हिमाचल भवन के कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। यह शिविर वेंकटेश्वर अस्पताल और राज्य के आवासीय आयुक्त के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया। इस शिविर में लगभग 150 लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई।

शिविर का उद्घाटन करते हुए आवासीय आयुक्त विवेक महाजन ने कहा कि आवासीय आयुक्त कार्यालय इन शिविरों का आयोजन प्रदेश सरकार के साथ सूचीबद्ध विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से नियमित रूप से आयोजित करने के लिए योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखना अत्यन्त जरूरी है और यह कार्य की उत्पादकता की दिशा में भी योगदान देता है।

उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर कर्मचारियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि इस शिविर में रोगियों की रक्तचाप, ब्लड शूगर की जांच, ईसीजी आदि के अतिरिक्त आर्थोपेडिक सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया।

इस शिविर में हिमाचल भवन के अधिकारी और कर्मचारी व परिवार के सदस्यों सहित एन.सी.आर. में रह रहे हिमाचल वासियों ने भी भाग लिया।

हिमाचल की 'लीगेसी मामलों के समाधान' योजना को मिली मंजूरी

शिमला/शैल। प्रदेश मंत्रिमंडल की आयोजित बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के लीगेसी मामलों के समाधान को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने सामान्य बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर व अन्य कानून जो वस्तु व बिक्री कर में शामिल किए गए हैं, उन सभी के तहत लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना लम्बित एरियर के समाधान के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर के तहत निर्धारित कराधान कानूनों के लंबित आकलनों के निपटान के लिए जमा होने वाले किसी भी बकाया के लिए लागू होगी। इस योजना से मूल्यांकन के मामलों तथा मुकदमों के तहत बकाया न मिलने वाले लंबित मुद्दों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों ने जीएसटी लागू करने के पश्चात् लंबित मामलों के समाधान के लिए बंदोबस्त योजना शुरू की है। इन राज्यो ने कुछ मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत बंदोबस्त योजना को रखा है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के लंबित मामलों के निपटारे के लिए सबका विकास योजना 2019 (लीगेसी विवाद समाधान) शुरू की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से आवेदकों को प्रतिरक्षण और प्रोत्साहन मिला है। महाराष्ट्र में करों पर 50 प्रतिशत, जुर्माने में 90 प्रतिशत और ब्याज में 95 प्रतिशत छूट दी गई है। कर्नाटक ने जुर्माने की बकाया और ब्याज में 90 प्रतिशत छूट दी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने योजना के तहत 40 से 70 प्रतिशत के बकाया करों में छूट देने के अतिरिक्त अभियोजन में भी पूर्ण रूप से छूट प्रदान की है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि लगभग 3500 करोड़ के बकाया और तीन लाख मूल्यांकन के मामले लम्बित पड़े हैं। इस योजना से लगभग 620 से 670 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त होगा तथा यह योजना वर्तमान के सभी डिफॉल्टर्स के लिए लागू होगी। इस योजना से सभी लंबित मुद्दों को निपटाने के लिए मानवशक्ति उपलब्ध होगी, जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी के अनुपालन में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में भुगतान शुल्क का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि घोषक को कर भुगतान के लिए निपटान शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है तथा रिटर्न या कर के भुगतान में जहां देरी होती है, वहां 10 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है, जहां कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है तथा वैधानिक रूप (सीएफएच इत्यादि) शामिल हैं और प्रस्तुत नहीं किए गए है, उन मामलों में 110 प्रतिशत कर देना होता है। उन्होंने कहा कि सेटलमेंट योजना के तहत घोषणा-पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2020 होगी।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDER"

Short terms tenders on form 6&8 are hereby invited by the **Executive Engineer Bangana Division HP.PWD Bangana on behalf of the Governor of H.P.** for the following works from the approved and eligible contractors/firms of appropriate class enlisted in HPPWD as per latest instructions so as to reach and open in this office as per time schedule given below in the presence of intending contractors or their authorised representatives. The offer of the tender will be kept open for **120 days** from the date of opening of the tenders. The undersigned reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons.

1. Date of receipt of applications for the tender Form a/w requisite documents: - **05.02.2020 upto 5.00 PM.**
2. Date of issue /sale of tender forms against Cash payment (Non-refundable):- **06.02.2020 upto 4.00 PM.**
3. Date of receipt of tenders: - **07.02.2020 upto 10.30 AM.**
4. Date of opening of tenders: - **07.02.2020 at 11.00 AM.**

S.No. Name of Work	Estimated Cost	EMD	Time limit	Cost of Tender	Eligible Class of Contractor
1. C/o Cow Sanctuary at Thanakalan in Distt. Una (H.P) (SH: Formation Cutting and Embankment in Km 0/500 to 0/935)	499000	10000	One Month	350	Class- D
2. C/o Cow Sanctuary at Thanakalan in Distt. Una (H.P) (SH: Formation Cutting and Embankment in Km 0/935 to 1/000 & 2 No. 900mm dia Hume pipe culvert in km 0/045 and 0/285)	196152	4000	One Month	350	Class- D
3. C/o link road Naloot to Pansai (Under SCSP) (SH: C/O RCC slab culvert span 2.00 mtr at RD 0/120	407351	8200	One Month	350	Class- D
4. C/o Community Toilet at Piploo P/o Ghaloon Tehsil Bangana Distt. Una (HP) (SH: P/L Duro stone Vetrified Tiles Distempring and Painting & C/o Septic Tank)	241254	5000	One Month	350	Class- D
5. Reapir and Maintenance of link road to Village Hatwana km 0/000 to 0/750 (SH: C/O 900mm dia Hume pipe culvert at RD 0/120 & P/L Interlocking concrete block pavement from RD 0/00 to 0/106)	498735	10000	One Month	350	Class- D
6. Special Repair to Ayurvedic Dispensary at Arloo (SH: C/O Stair case and railing, Rain water Harvesting Tank)	303230	6100	One Month	350	Class- D

The Earnest money in the shape of National Saving certificate/Time deposit/Saving account of any post office or FDR of Nationalised Bank duly pledged in the name of undersigned must be accompanied with each tender. The conditional tender and tender not accompanying the earnest money in the proper mode of deposit will summarily be rejected.
The Tender documents to be sent should have invariably be waxed in sealed cover and in failure of that those will not be entertained.
The Copy of valid enlistment, GST Registration No. , Income Tax PAN No & EPF No. must be attached with application.
SPECIAL CONDITION:-
1.The tender form will be issued to those contractors who have relevant machinery and equipment, the list of which may be attached with their applications.(The proof of ownership of machinery/legal tie up arrangement).
2. The tender form will not be issued to those contractors who have already two works in hand.The earnest money for the above work should be submitted with the application for the purchase of the tender forms. The application received without earnest money shall summarily be rejected.
3. The conditional/ambiguous/telegraphic tenders or tender by fax shall not entertained/ considered in any case.

Adv. No.4065/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जायेंगे विभिन्न श्रेणियों के 819 पद

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 819 पद भरने की मंजूरी दी गई। इनमें जेबीटी के 532, भाषा अध्यापकों के 35, शास्त्रियों के 133, टीजीटी (कला) के 104, टीजीटी (नॉन मेडिकल) के आठ और टीजीटी (मेडिकल) के सात पद शामिल हैं। यह पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।

बैठक में पैरा कार्यकर्ताओं के 1578 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें 417 पैरा पम्प ऑपरेटर, 287 पैरा फीटर और 874 बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता शामिल हैं। इन पदों को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 394 नई पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन के लिए विभाग की पैरा कार्यकर्ता नीति के अंतर्गत भरा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ टैक्निशियन के 16 पद भरने का निर्णय लिया, जिनमें से आठ पद सीधी भर्ती के माध्यम से और आठ पद बैच के आधार पर भरे जाएंगे।

प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 11 पद भरने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने मण्डी उपायुक्त कार्यालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के छह पद और सेवादारों के सात पद भरने का निर्णय लिया है।

बैठक में हाल ही में खोले गए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ और नागरिक न्यायालय बंजार, तिसा और शिलाई में नियमित आधार पर रिकॉर्ड कीपर के चार पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

उद्योग विभाग में चालकों के तीन पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।

बैठक में आल्टर्नेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन सेंटर बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन में चौकीदार एवं सेवादारों के चार और सफाई कर्मचारी एवं सेवादारों के चार पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुन्नू को राजकीय माध्यमिक पाठशाला के रूप में

स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित करने का निर्णय लिया।

सिरमौर जिला के पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसाबण में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने और आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में वन क्षेत्रों से चीड़ की पत्तियों को एकत्रित करने और हटाने के लिए नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया, ताकि आगजनी की घटनाओं को कम किया जा सके और हितधारकों को चीड़ की पत्तियों को हटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त संशोधन के अनुरूप उद्योगों को चीड़ की पत्तियों को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

बैठक में चम्बा जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला बैली-2 को राजकीय माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला धार को उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला परिहार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। सिरमौर जिला के राजकीय उच्च विद्यालय गढोल पीरग और सिरमौरी मंदिर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई। इन विद्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 25 पद भरने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के जलाशयों में मछली के दामों में एकरूपता लाने, मछली को एक ब्रैंड बनाने और मछली उत्पादन से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से राज्य के जलाशयों के लिए एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना गोविन्द सागर में कार्यान्वित की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के बेसाखी-नलवाड़ मेला झण्डूता और नलवाड़ मेला सुनहाणी को जिला स्तरीय मेला घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की, ताकि जिला की समृद्धि संस्कृति और परम्पराओं को बढ़ावा दिया जा सके।

हिमाचल गौरव, प्रेरणा स्त्रोत सम्मान व नागरिक सेवा पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने तीन राज्यस्तरीय पुरस्कारों- हिमाचल गौरव पुरस्कार, हिमाचल प्रेरणा स्त्रोत सम्मान और नागरिक सेवा पुरस्कार-2020 के लिए नामांकन की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2019 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2020 किया है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल हिमाचल दिवस के अवसर पर दिए जाते है।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक को निर्धारित प्रपत्र पर अपने जीवनवृत्त के अतिरिक्त हिन्दी भाषा में अधिकतम दो पृष्टों का संक्षिप्त लेख और उपलब्धियों या सेवाओं के उल्लेख के साथ राज्य स्तरीय जांच समिति के विचारार्थ भेजना होगा। हिन्दी में तैयार किये गए लेख की एक प्रति gadbr2hp@nic.in पर भी ईमेल करनी होगी।

उन्होंने कहा कि आवदेक निर्धारित फॉर्म में केवल उचित दस्तावेजों को सम्मिलित कर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। नामांकन भरने के निर्धारित प्रपत्र विभाग की वैबसाईट www.himachal.nic.in/gad पर उपलब्ध है।

राज्य के 11 जिलों में स्थापित होंगे गौ अभ्यारण्य/गौसदन:वीरेंद्र कंवर

शिमला/शैल। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश के 11 जिलों में गाय अभ्यारण्य/गौसदन स्थापित किए जाएंगे जिनमें प्राकृतिक वातावरण में बेसहारा पशुओं को आश्रय और भूमि संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चरने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। लाहौल स्पीति जिला में बेसहारा पशु न होने के कारण गौ सदन नहीं स्थापित किया जाएगा।

प्रारंभिक चरण में इन गाय अभ्यारण्यों/गौसदन की स्थापना जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग, जिला सोलन के हांडा कुंडी, जिला हमीरपुर के खेरी, जिला ऊना के थाना कलां खास, जिला कांगड़ा के इंदौरा- डमटाल, कुंदन-जीपी -बडसर- पालमपुर, कंगेहन- जयसिंहपुर लुथान (ज्वालामुखी) और जिला बिलासपुर के बरोटा-डबवाल, तहसील श्री नैना देवी जी तथा धार-तातोह तहसील सदर में की जा रही है।

कांगड़ा जिले में अधिकतम चार गौ अभ्यारण्य/गौसदन स्थापित किए जाएंगे जिसके लिए इंदौरा (डमटाल), कुंदन (पालमपुर), कंगेहन (जयसिंहपुर) और लुथान (ज्वालामुखी) को चयनित किया गया है।

मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित गौसदन बैन अटेरिया की क्षमता को मौजूदा 250 से बढ़ाकर 1000 करने के लिए 77,90,000 रुपए की लागत से बनने वाली चारदीवारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रत्येक जिले में कम से कम एक गाय अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा, जबकि कांगड़ा जैसे बड़े जिले में चार गाय अभ्यारण्य स्थापित किए जाएंगे, जहां आवारा पशुओं की संख्या अधिक है।

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग अभ्यारण्य के लिए 1.52 करोड़ रुपये, जिला सोलन के हांडा कुंडी अभ्यारण्य के लिए 2.97 करोड़ रुपये, जिला ऊना के थाना कलां खास अभ्यारण्य के लिए 1.69 करोड़ रुपये, जिला हमीरपुर में खेरी सुजानपुर अभ्यारण्य के लिए 2.56 करोड़ रुपये और जिला चंबा के मंझीर अभ्यारण्य के लिए 1.66 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया गया है।

उन्होंने कहा कि उक्त सभी पाँच गाय अभ्यारण्यों/बड़े गौसदनों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और वर्ष 2020 तक पूरा हो जाएगा और इन सभी गौ अभ्यारण्यों/बड़े गौसदनों को वर्ष 2020 में कार्यशील कर दिया जाएगा।

सरकार ने इन अभ्यारण्यों के निर्माण के लिए नोडल विभागों के रूप में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, एचपीएसआईडीसी, हाउसिंग बोर्ड आदि बुनियादी ढांचा विकास में लगे विभिन्न सरकारी विभागों को अधिसूचित किया है, जो संबंधित जिले में विभाग के पास लंबित कार्य भार के आधार पर है।

वर्तमान में राज्य में बेसहारा पशुओं की आबादी 27,352 है, जबकि 13,337 मवेशियों को राज्य के मौजूदा गोसदनों और गौशालाओं में पाला जा रहा है।

जनगणना में पारदर्शिता और सही जानकारी हेतु मोबाईल एप से होगा अधिकतम कार्य:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। भारत की 16वीं जनगणना का कार्य वर्ष 2021 में किया जाना है जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने राज्य सचिवालय में जनगणना वर्ष 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

अनिल कुमार खाची ने कहा कि जनगणना कार्य में पारदर्शिता और सही जानकारी के संकलन के लिए राज्य में जनगणना 2021 का अधिकतम कार्य मोबाईल ऐप के माध्यम से संपादित कराया जाएगा। जानकारियों का संकलन आनलाईन और आफलाईन दोनों तरीकों से किया जा सकेगा। फरवरी, मार्च माह में उपायुक्तों, जिले के अन्य अधिकारियों को जनगणना के कार्य का विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति के अन्य सदस्यों प्रधान सचिव राजस्व विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सचिव वित्त विभाग, सचिव शहरी विकास, विशेष सचिव शिक्षा तथा उप सचिव सामान्य प्रशासन ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में निदेशक जनगणना, सुशील कुमार कप्टा व जनगणना कार्यालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

निदेशक जनगणना ने सूचित किया कि जनगणना कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में 18 मास्टर ट्रेनर को नवम्बर 2019 में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जो मार्च 2020 में जिला स्तर पर सभी जिलों में लगभग 418 फील्ड ट्रेनर को प्रशिक्षण देंगे। इनके द्वारा अप्रैल माह में राज्य के लगभग 19500 प्रगणकों व पर्यवेक्षको को जनगणना 2021 का कार्य करने के लिए प्रशिक्षित दिया जाएगा।

निदेशक जनगणना ने जानकारी दी कि प्रगणक अपने मोबाईल का उपयोग कर मोबाईल ऐप के माध्यम से जनगणना का कार्य सम्पादित करेंगे। मोबाईल के माध्यम से जनगणना कार्य करने वाले प्रगणकों को लगभग 25 हजार और पेपर पर कार्य करने वाले प्रगणकों को लगभग 17 हजार रूपए मानदेय डी.बी.टी. माध्यम से ही उनके खाते में भेजा जाएगा। मोबाईल ऐप से जनगणना का कार्य संपादित होने से जनगणना संबंधी आंकड़े शीघ्रता से जारी किए जा सकेंगे।

सुशील कुमार कप्टा ने बताया कि राज्य में जनगणना 2021 के प्रथम चरण में 16 मई से 30 जून 2020 तक मकानों की गणना की जाएगी और उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। उपरोक्त कार्य के साथ-साथ राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर को भी अपडेट किया जाएगा। जनगणना के संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। राजस्व विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश में फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणकों व पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का कार्य जिला स्तर/चार्ज स्तर पर किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी लोगो से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय कार्य में बढ़-चढ़ कर भाग लें, प्रगणकों को सही व पूर्ण जानकारी दें तथा जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग दें। उन्होने कहा कि जनगणना सिर्फ महिलाओं और पुरूषों की गिनती ही नहीं है बल्कि देश के विकास में गति लाने का भी एक माध्यम है तथा सरकारें इन आंकड़ों पर विकास से सम्बन्धित सभी योजनाओं का निर्धारण करती है।

उन्होंने कहा कि जनगणना 2021 के सभी आंकड़े देश की जनता की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से सरकार को नीति निर्धारण करने में सहायक सिद्ध होंगे। मुख्य सचिव ने जनगणना निदेशालय को निर्देश दिए कि सभी प्रगणकों को प्रशिक्षण प्रभावी रूप से दिया जाये ताकि सही जानकारी एकत्रित की जा सके।

नाबार्ड ने की हिमाचल के लिए 161.35 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाएं स्वीकृत

शिमला/शैल। नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश के लिए 161.35 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें 39 सड़क परियोजनाएं और पांच पुल परियोजनाएं शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पक्ष में स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं में 143.13 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 60.68 किलोमीटर सड़कों का स्तरोन्नयन और मैटलिंग-टारिंग और पांच पुलों का निर्माण शामिल है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ-25) के अंतर्गत सड़क व पुल की परियोजनाएं मंजूर करने के लिए नाबार्ड का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए नाबार्ड का महत्व और भी बढ़ जाता है, जहां सड़कें यातायात का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने परियोजनाएं तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग को बधाई देते हुए तुरंत निविदाएं आमंत्रित करने और इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि विभाग इन परियोजनाओं पर प्रभावी रूप से कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में आरआईडीएफ-25 के अंतर्गत 464.83 करोड़ रुपये की 115 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इनमें 102 सड़क परियोजनाएं और 13 पुल परियोजनाएं शामिल हैं।

यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढाया और अभ्यास कराया गया होता, तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुःख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक नागरिकता संशोधन वापिस लिया जाये

नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उभरा विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता प्रधानमंत्री मोदी की बात नही सुन रही है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि जनता प्रधानमंत्री पर विश्वास नही कर पा रही है। यही सबसे दुखद है कि प्रधानमंत्री जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं। इसलिये यह जानना/समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या प्रधानमंत्री को अपने ही लोगों का सहयोग नही मिल रहा है। क्योंकि मोदी के मन्त्री अमितशाह, प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद जैसे वरिष्ठ लोग ही प्रधानमन्त्री से अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमन्त्री और उनके मन्त्रीयों के अलग -अलग ब्यानों से पैदा हुए विरोधाभास के कारण उभरी भ्रान्ति तथा डर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग और असम ऐडवोकेट ऐसोसियेशन ने दो याचिकाएं भी दायर कर दी हैं। बंगाल के एक अध्यापक मण्डल की एनपीआर को लेकर आयी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विधिवत चुनौती दे रखी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संद्धर्भ में आयी पांच दर्जन से अधिक याचिकाओं पर 22 जनवरी से सुनवाई करने की भी घोषणा कर दी है। ऐसे मे जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर सुनवाई शुरू करने की बात कर दी है तो केन्द्र सरकार को भी इस अधिनियम और इसी के साथ एनपीआर तथा एनआरसी पर शीर्ष अदालत का फैसला आने तक सारी प्रक्रिया स्थगित कर देनी चाहिये।

इस समय नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों में आ चुकी हैं उससे पता चलता है कि देश में इसका विरोध कितना हो रहा है। शायद आज तक इतना विरोध किसी भी मुद्दे पर नही उभरा है। एनआरसी, सीएए और एनपीआर का जिस भी व्यक्ति ने ईमानदारी से अध्ययन किया है वह मानेगा कि तीनों में गहरा संबंध है बल्कि एनपीआर ही सबकी बुनियाद है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री अैर उनके मन्त्री इस विषय पर कुछ भी बोलते हैं तो उससे सरकार और नेतृत्व की नीयत पर ही सवाल खड़े होने लग जाते हैं। राज्य मन्त्री किरन रिजजू ने राज्य सभा में 24-7-2014 को एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं यह माना है कि एनपीआर ही इस सबका आधार है। स्थितियां जो 2014 में थी वही आज भी हैं। यह सही है कि अवैध घुसपैठिये और धर्म के कारण प्रताड़ित हो कर आने वाले व्यक्ति में फर्क होता है। प्रताड़ित की मद्द की जानी चाहिये घुसपैठिये की नहीं लेकिन फर्क कैसे किया जायेगा सवाल तो यह है। क्योंकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नही रखा गया है। जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं उससे यही संकेत उभरता है कि केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही बाहर का रास्ता दिखाने की बिसात बिछायी जा रही है।

प्रधानमन्त्री कह चुके हैं कि एनआरसी को लेकर कहीं कोई चर्चा ही नही हुई है और जब इस पर सरकार में कोई चर्चा कोई फैसला ही नही हुआ है तब एनपीआर को लेकर कोई प्रक्रिया क्यों शुरू की जा रही है इसके लिये धन का प्रावधान क्यों किया जा रहा है। एनपीआर का प्रतिफल तो एनआरसी और सीएए में आयेगा। जब एनआरसी लागू ही नही किया जाना है तो एनपीआर का बखेड़ा ही क्यों शुरू किया जाये। सर्वोच्च न्यायालय में आयी याचिकाओं पर सरकार को यह जवाब देना है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी एक तरफ प्रधानमंत्री और उनके मन्त्रीयों के ब्यान होंगे और दूसरी एनआरसी, सीएए तथा एनपीआर पर जारी सरकारी आदेश होंगे। सबका मसौदा सामने होगा। यह स्थिति एक तरह से सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनो के लिये परीक्षा की घड़ी होगी। इस परीक्षा में दोनो का एक साथ पास होना संभव नही है। लेकिन किसी एक का भी असफल होना देश के लिये घातक होगा। आज देश की अर्थव्यवस्था भी एक संकट के दौर से गुजर रही है और इसे नोटों पर महात्मा गांधी की जगह लक्ष्मी माता की फोटो छापकर उबारा नही जा सकता जैसा कि भाजपा नेता डा. स्वामी ने सुझाव दिया है। इस समय सरकार को अपने ऐजैण्डे से हटकर नागरिकता संशोधन को वापिस सर्वदलीय बैठक बुलाकर सर्व सहमति से इसका हल निकालना होगा। यदि ऐसा नही हो पाता है तो आने वाला समय नेतृत्व को माफ नही कर पायेगा।

क्या मुस्लिम महिलाएँ और बच्चे अब विपक्ष का नया हथियार हैं?

सीएए को कानून बने एक माह से ऊपर हो चुका है लेकिन विपक्ष द्वारा इसका विरोध अनवरत जारी है। बल्कि गुजरते समय के साथ विपक्ष का यह विरोध 'विरोध' की सीमाओं को लांघ कर हताशा और निराशा से होता हुआ अब विद्रोह का रूप अख्तियार कर चुका है। शाहीन बाग का धरना इसी बात का उदाहरण है। अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए ये दल किस हद तक जा सकते हैं यह धरना इस बात का भी प्रमाण है। दरअसल नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली इस सड़क पर लगभग एक महीने से चल रहे धरने के कारण लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सड़क पर इस प्रकार से धरने पर बैठे हैं कि लोगों के लिए वहाँ से पैदल निकलना भी दूभर है। लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, स्थानीय लोगों का व्यापार ठप्प हो गया है, रास्ता बंद हो जाने के कारण आधे घंटे की दूरी तीन चार घंटों में तय हो रही है जिससे नौकरी पेशा लोगों का अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में असाधारण समय बर्बाद हो रहा है। जाहिर है इससे गाड़ियों में ईंधन की खपत भी बढ़ गई है जो निश्चित ही पहले से प्रदूषित दिल्ली की हवा में और जहर घोलेगी। जो राजनैतिक दल इस धरने को खुलकर अपना समर्थन दे रहे हैं और इन आंदोलनरत लोगों के जोश को बरकरार रखने के लिए यहाँ बारी बारी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हवा का यह ज़हर कहीं देश की फ़िज़ाओं में भी ना घुल जाए। क्योंकि हाल ही में बीजेपी के आई टी सेल के प्रमुख ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें एक युवक यह कह रहा है कि यहाँ पर महिलाओं को धरने में बैठने के पांच सौ से लेकर सात सौ रुपये तक दिए जा रहे हैं। यह महिलाएं शिफ्ट में काम कर रही हैं और एक निश्चित संख्या में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित रखती हैं। इतना ही नहीं उस युवक का यह भी कहना है कि वहाँ के दुकानों के किराए भी मकान मालिकों द्वारा माफ कर दिए गए हैं। इस वीडियो की सत्यता की जांच गंभीरता से की जानी चाहिए क्योंकि अगर इस युवक द्वारा कही गई बातों में जरा भी सच्चाई है तो निश्चित ही विपक्ष की भूमिका संदेह के घेरे में है। क्योंकि सवाल तो बहुत उठ रहे हैं कि इतने दिनों तक जो लोग धरने पर बैठे हैं इन लोगों का खर्चा कैसे चल रहा है। जो खाना पीना धरना स्थल पर उपलब्ध कराया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है। यह जानना भी रोचक होगा कि इस वीडियो के वायरल होते ही यह खबर भी आई कि सिख समुदाय ने धरना स्थल पर लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी है। यह इत्तेफाक है या सुनियोजित रणनीति का हिस्सा यह तो जांच का विषय है।

दरअसल विपक्ष आज बेबस है क्योंकि उसके हाथों से चीज़ें फिसलती जा रही हैं। जिस तेजी और सरलता से मौजूदा सरकार इस देश के सालों पुराने उलझे हुए मुद्दे जिन पर बात करना भी विवादों को आमंत्रित करता था, सुलझाती जा रही है, विपक्ष खुद को मुद्दाविहीन पा रहा है। और तो और वर्तमान सरकार की कूटनीति के चलते संसद में विपक्ष की राजनीति भी नहीं चल पा रही जिससे वो खुद को अस्तित्व विहीन भी पा रहा है शायद इसलिए अब वो अपनी राजनीति सड़कों पर ले आया है। खेद का विषय है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए अभी तक विपक्ष आम आदमी और छात्रों का सहारा लेता था लेकिन अब वो महिलाओं को मोहरा बना रहा है। जी हाँ इस देश की मुस्लिम महिलाएँ और बच्चे अब विपक्ष का नया हथियार हैं क्योंकि शाहीन बाग का मोर्चा महिलाओं के ही हाथ में है।

अगर शाहीन बाग का धरना वाकई में प्रायोजित है तो इस धरने का समर्थन करने वाला हर शख्स और हर दल सवालों के घेरे में है।

संविधान बचाने के नाम पर उस कानून का हिंसक विरोध जिसे संविधान संशोधन द्वारा खुद संसद ने ही बहुमत से पारित किया हो क्या संविधान सम्मत है? जो लड़ाई आप संसद में हार गए उसे महिलाओं और बच्चों को मोहरा बनाकर सड़क पर लाकर जीतने की कोशिश करना किस संविधान में लिखा है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करना लोकतंत्र की किस परिभाषा में लिखा है? संसद द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालना हर राज्य का कर्तव्य है (अनुच्छेद 245 से 255) संविधान में उल्लिखित होने के बावजूद विभिन्न राज्यों में विपक्ष की सरकारों का इसे लागू नहीं करना या फिर केरल सरकार का इसके खिलाफ न्यायालय में ही चले जाना क्या संविधान का सम्मान है? जो लोग महीने भर तक रास्ता रोकना अपना संवैधानिक अधिकार मानते हैं उनका उन लोगों के संवैधानिक अधिकारों के विषय में क्या कहना है जो लोग उनके इस धरने से परेशान हो रहे हैं? अपने अधिकारों की रक्षा करने में दूसरों के अधिकारों का हनन करना किस संविधान में लिखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उन मुस्लिम महिलाओं से जो धरने पर बैठी हैं। आज जिस कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर जैसे नेताओं का भाषण उनमें जोश भर रहा है उसी कांग्रेस की सरकार ने शाहबानो के हक में आए न्यायालय के फैसले को संसद में उलट कर शाहबानो ही नहीं हर मुस्लिम महिला के जीवन में अंधेरा कर दिया था। यह दुर्भाग्यजनक ही है कि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण तीन तलाक से छुटकारा पाने वाले समुदाय की महिलाएँ उस विपक्ष के साथ खड़ी हैं जो एक राजनैतिक दल के नाते आज तक उन्हें केवल वोटबैंक समझ कर उनका उपयोग करता रहा और आज भी कर रहा है।

चूंकि 2016 के बाद अपने परिसर में विभिन्न देशविरोधी गतिविधियों के सार्वजनिक होने के चलते जेएनयू अब बेनकाब हो चुका है और वहाँ का छात्र आंदोलन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रभाव छोड़ने के बजाए खुद ही विवादों में आ जाता है। इसलिए विपक्ष ने अब महिलाओं को अपना मोहरा बनाया है। क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों ने वोटबैंक की राजनीति पर जबरदस्त प्रहार किया है और जो थोड़ी बहुत मुस्लिम दलित का वोटबैंक बचा भी है तो उसमें कंपीटिशन बहुत हो गया है क्योंकि भाजपा को छोड़ लगभग समूचा विपक्ष ही उसे साधने में लगा है। इसलिए उसने विश्व इतिहास पर नज़र डाली और महिला आंदोलन की कुंजी खोजी जिसका इस्तेमाल वो सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में भी कर चुका था। यह अब मुस्लिम महिलाओं के सोचने का विषय है कि वे किसी दल के राजनैतिक हथियार के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं जिसका केवल देश विरोध में उपयोग किया जाता है या फिर इस देश के उस जगरूक नागरिक के रूप में जो देश निर्माण में अपना योगदान देता है और जो केवल सम्मान का पात्र होता है।

–डॉ नीलम महेंद्र–

जेएनयू की लहूलुहान पगडंडियों पर कभी कीट्स की प्रेम कविताओं का जिक्र था...

''पूण्य प्रसून वाजपेयी''

अटखेलिया खाती इन पंगडंडियों के बीच से गुजरते हुये आपको एहसास प्रकृति का ही होगा। जो सुंदर दृश्य आपकी आंखों के सामने है वह बेहद आसानी से आपको उपलब्ध है। ये आपके भीतर की सुंदरता होगी कि आपके एहसास प्रकृति से जुड जाये आपके भीतर प्रेम जागे। जान कीट्स की कविता 'ओड टू ए नाइटेंगलट' को पढियेगा तो समझ जायेगें, प्रकृति कैसे अनुराग को अभिव्यक्ति देती है क्योकिं 'सुदंरता ही सत्य है, सत्य सुंदर है। इतना ही तो जानने की आवश्यकता है। 'ये संवाद 1988 का है। जेएनयू के गंगा हास्टल ढाबे से ओपन थियेटर तक चलते हुये दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चासंलर मुनीस रजा का छात्रो के साथ बातचीत। तब जेएनयू के वाइस चासंलर मोहम्मद शफी आगवानी हुआ करते थे। लेकिन जेएनयू को गढने वाले मुनीस रजा को जेएनयू से कुछ ऐसा प्रेम था कि वह अक्सर शाम के वक्त जेएनयू कैपंस पहुंच जाते थे। जेएनयू के संस्थापको में से एक मुनीस रजा ही वह शख्स थे जिन्होंने जेएनयू को कैसे बनाया जाये इसे मूर्त रुप दिया। नये कैंपस में नदियो नाम पर हर हास्टल का नाम रखवा। मसलन गंगा, कावेरी, ब्रहमपुत्र, महानदी आदि। और प्रतिकात्मक तौर पर भारत की पहचान को जोडने के लिये हास्टल के नाम साबरमती और पेरियार भी रखवा गया। यूं शुरुआत में सिर्फ डाउन कैंपस हुआ करता था। जहां अब सीआरपीएफ कैंप और कुछ दफ्तर हैं। और जिस जेएनयू कैपस और हास्टल ने अब खुद को घायल देखा है उसे प्रकृति के समंदर में समेटने की सोच लिये मुनीस रजा तो जेएनयू कैपस में छात्र – छात्राओं की गर्म होती सांसो को भी रोसेटी की कविता 'टू ब्लासम' के जरीये मान्यता देने से नहीं कतराते थे। लेकिन अस्सी के दशक में येलावर्ती के जेएनयू वीसी रहते हुये और साल भर के भीतर पीएनश्रीवास्तव को वीसी बनाने के वक्त जिस तरह जेएनयू में पहली बार जबरदस्त हंगामा हुआ उसने इंदिरा गांधी की छवि को धूमिल जरुर किया लेकिन 2019 में जेएनयू का टकराव तो सीधे सत्ता से हो चला है। और लहूलुहान जेएनयू के भीतर छात्र संगठनो के टकराव से ज्यादा बाहर से आये नकाबपोशो की मौजूदगी डराने वाली है। 80 के दशक में दिल्ली पुलिस घोड़े पर सवार होकर छात्रो को रौंदते हुये अंदर दाखिल हुई थी। लेकिन इस बार पुलिस की मौजूदगी में जेएनयू घायल हुआ। तब जेएनयू में प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। छात्रो ने कैपस में रह रहे अध्यापकों पर हमला कर दिया था। तब चालीस छात्रों को कैपंस से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इस बार चालीस से ज्यादा बाहरी नकाबपोश कैपंस में गुसे और पुलिस किसी को रोकना तो दूर लहूलुहान हुये छात्रो की शिकायत को दर्ज करने से आगे बढ ही नहीं पायी। 72 घंटे बाद भी किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। तब इंदिरा गांधी ने विरोध – प्रदर्शन करने वाले छात्रों से किसी तरह की बातचीत से साफ इंकार कर दिया था। लेकिन अब तो छात्रो के टकराव के हालात सत्ता को भी बाहरी नकाबपोश के साथ खडे देख रहे हैं। और पहली बार बौद्धिक जगत के लोग हो या सिल्वर स्क्रिन लोकप्रिय चेहरे। सामाजिक कार्यकत्ताओ का हुजुम हो या नोबल से सम्मानित जेएनयू के पूर्व छात्र। फिर मोदी सत्ता की कैबिनेट में शामिल जेएनयू के पूर्व छात्र हो या देश भर से दिल्ली पहुंचते प्रोफेशनल्स सभी जेएनयू को लेकर बंटे भी है और सडक पर संघर्ष करते हुये भी दिखायी दे रहे हैं। 38 बरस पहले जेएनयू के हंगामें को लेकर सत्ता में चिंता पैदा हुई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर शिक्षा राजनीति के अड्डे में तब्दील होकर भारत के शैक्षणिक हालात को दागदार ना कर दें । इसलिये 15 दिन के भीतर ही जेएनयू को लेकर तब की शिक्षा मंत्री शीला कौल ने जेएनयू वीसी से चार बार संवाद बनाये। लेकिन मौजूदा वक्त के शिक्षा मंत्री के तौर पर निशंक की सिर्फ इतनी ही भूमिका नजर आयी कि जेएनयू के लहू लुहान होने के बाद वीसी जगदीश को बुलाया गया। जिसके बाद वीसी ने जेएनयू की घटना की निंदा की और वीसी से लेकर शिक्षा मंत्री की भूमिका और सत्ता की खामोशी से लेकर दिल्ली पुलिस के मूकदर्शक होने को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में सवाल सड़क पर हाथो में लहराते प्लेकार्ड से लेकर अखबारों की खबरों और आर्टिकल तक में झलके। और इन हालातों ने छात्रो की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई ऐसे संवेदनशील सवाल देश में खडे कर दिये जो जामिया या अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जाधवपुर या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुये हंगामे से हटकर है। पहली बार जेएनयू में पढते छात्रो के सामने ये भी सवाल है कि क्या सरकार अब शिक्षा पर सब्सिडी देने को तैयार नहीं है। क्या जेएनयू का खुलापन सरकार को बर्दाश्त नहीं है, क्या जिस न्यूनतम के संघर्ष में जीवनयापन करने वाले समाज से बच्चे निकल कर जेएनयू पहुंचते है और जिन्दगी में तरक्की के रास्ते आगे बढते है क्या मध्यम वर्ग को समेटी राजनीति को ये भी बर्दाश्त नहीं है। या फिर ग्रामीण और गरीबी के बीच से बेहद कम फीस के साथ शिक्षा पाने के लिये जो छात्र जेएनयू पहुंच जाते है उन्हे वामपंथी सोच के दायरे में रखकर 'टुकडे टुकडे गैंग' से परिभाषित कर नकाबपोश हथियारबंद बाहरी छात्रों को देशभक्त बताकर मामले को सियासी दायरे में लाया जा सकता है। इसमें दो मत नहीं है कि जेएनयू में वामपंथियो की छात्र यूनियन इसलिये काबिज रहती है क्योंकि वहां सवाल वर्ग संघर्ष से होते हुये पेट के सवाल को उठाता है। और जो गरीब – गांव से निकल कर जेएनयू पहुंचते है उन्हे वामपंथ के सवाल अपनी जिन्दगी के करीब लगते है। फिर जेएनयू का खुला वातावरण या वहां पढाई के तौर तरीके देश – दुनिया के हर मुद्दे पर अभिव्यक्त करने का वातावरण भी देते हैं। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय या जामिया यूनिवर्सिटी में अभिव्यक्ति की रुकावट तो नहीं है लेकिन गरीब या गांव से सीधे निकल कर आये छात्र भी यहा नहीं है या बेहद कम है। पर समझना ये भी जरुरी होगा कि जेएनयू मुंढने वाले करीब साढे आठ हजार छात्रो में पांच हजार से ज्यादा छात्र एमफिल – पीएचडी कर रहे होते हैं और चूंकि यूनिवर्सिटी पूरी तरह आवासीय है तो आपसी संवाद या अलग अलग विषयों को लेकर तर्क के तौर तरीके भी बेहद भिन्न होते हैं। बकायदा छात्र यूनियन हर विषयों के जानकार को लेकर शुक्रवार की रात हास्टल की मेस में या फिर आडिटोरियम में सेमिनार भी कराते हैं। लहूलुहान हुये जेएनयू में 24 घंटे पहले फीस बढोतरी और नई शिक्षा नीति को लेकर भी सेमिनार चल रहा था। और 1969 में जेएनयू की स्थापन के वक्त यही विचार इंदिरा गांधी के सामने मुनीस रजा ने रखा था कि, जेएनयू को अपने नाम यानी नेहरु के विचार को भी जीना होगा और भारतीय पहचान को भी साधना होगा। तभी तो जेएनयू के संविधान में जिक्र किया गया, ' राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जीवन के लोकतांत्रिक पहलु, अन्तर्राष्ट्रीय समझ और समाज की मुश्किलों को लेकर साइंटिफिक एप्रोच को अपनाना होगा। यूनिवर्सिटी का वातावरण जानकारी को लेकर लगातार उर्जावान प्रयास से सराबोर रहे और खुद से सवाल करने की क्षमता पैदा हो। 'और ये उर्जा कैसे प्रकृति से जोड कर मुनिस रजा ने जेएनयू को गढा और 80 के दशक में जब जेएनयू की पगडंडियों से छात्रों के साथ गुजरते तो किट्स की कविता 'अथिंग ऑफ ब्यूटी' की लाईनो को सुनाते, 'सौंदर्य की खुशी सदैव कायम रहती है, इसकी मधुरता बढ़ती रहती है, यह कभी खत्म नहीं होती.. .यह एक सपनों भरी नींद है. ..... 'पर पहली बार जेएनयू के सपनो पर हकीकत हावी है जहां पाश घुमडने लगा है..सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना.....

इस्लाम की तरक्की के लिए आधुनिक तालीम और रोजगार की जरूरत

–हसन जमालपुरी –

अल्लाह के रसूल मोहम्मद और उनके साथियों ने खुद इस्लाम के प्रचार के लिए व्यापार और ज्ञान को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने तालीम और व्यापार के माधयम से धर्म और धन दोनों हासिल किया, जिससे मजाब को भी काफी फायदा पहुँचा। दुनिया में जितने भी मुल्क महाशक्ति बने हैं, वे सभी आज जिस मुकाम पर हैं, वे कड़े संघर्ष और त्याग के बाद इस ऊँचाई पर पहुँचे हैं। हम सब वाकिफ है कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत कैसे हुई। वह इस स्तर तक कैसे पहुंचा। बांग्लादेश खुद को इतने ऊँचे स्थान पर कैसे पहुंचाया। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने अपने युवाओं के हाथों में कलम के बजाये हथियार थमाया और धार्मिक अतिवाद को अपनी पहचान बना ली। इन्हीं दो कारणों से पाकिस्तान तबाह हो गया। लेकिन बांग्लादेश के बृद्धिजीवियों ने अपनी युवा पीढ़ी को तालीम की कमी के बावजूद रोजगार और संघर्ष का मंत्र दिया, उन्हें पड़ोसी देशों में नौकरियां और व्यापार करने के लिए प्रेरित किया।

हम लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि बंगलादेशियों ने न केवल मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में नौकरियों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया अपितु वह इन देशों में बड़े – बड़े व्यापार भी चला रहे हैं। आज अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ उन्होंने अपने देश को एक स्थिर स्थिति में ला कर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानियों की तरह उन्होंने केवल लफाजी और आतंकवाद का रास्ता नहीं अपनाया बल्कि अल्लाह के रसूल के कहे मार्गों पर चलते हुए संघर्ष और कड़ी मेहनत पर जोर दिया। आज दुनिया खुली आंखों से ये देख रही है कि बांग्लादेश कहाँ खड़ा है और पाकिस्तानी कहाँ पहुँच गया है। इन तमाम जानकारियों से हमें पता चलता है कि दुनिया में विकास और सफलता हथियार और आतंकवाद से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और सकारात्मक समर्पण से हासिल किया जाता है।

हिंदुस्तान में मदरसों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने और इसके आधुनिकीकरण की जरुरत है। हिन्दुस्तानी मुसलमान शिक्षा तक पहुँच के मामले में पीछे हैं और इनके शैक्षिक पिछड़ेपन पर काबू पाने के लिए प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना ही एक मात्र रास्ता है। अगर कोई बच्चा मदरसा जा रहा है तो ये समझाना चाहिए कि उसे स्कूल जाने का मौका नहीं हैं। अगर एक बच्चा मदरसे में अपना पंजीकरण कराने के कुछ वर्षों बाद सरकारी स्कूल तक पहुँच हासिल करता है तो उसकी नींव और समझ इतनी कमजोर होती है कि वो दूसरे बच्चों के साथ मुकाबला करने में सक्षम नहीं होता हैं। प्राथमिक शिक्षा के ठोस आधार के बिना, उच्च शिक्षा और उसके परिणामस्वरुप जॉब मार्किट में प्रतिनिधित्व की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

मदरसों में आज जो पढाते हैं वो पूरी तरह असम्बद्ध और समय के साथ साम्य नहीं रखता है। इसका पाठयक्रम प्राचीन है और समकालीन स्थिति में जिसे शिक्षा कहा जाता है इसके पाठयक्रम में सम्मलित नहीं है। मदरसे में पाठयक्रम में धार्मिक शिक्षा की बहुलता है और ऐसा लगता है जैसे एक मुसलमान के लिए अपने धर्म से अलग कुछ भी शोध करने के लिए नहीं है। इस्लामी सिद्धांतों के साथ इस जुनून का मतलब है कि मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले मुस्लिम बच्चों को अपने देश, समाज और राजनीनि के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं होती है और न ही उस शानदार रफ्तार से जिससे दुनिया विकास कर रही है उसकी ही जानकारी हो पाती है। कोई भी जोर देकर कह सकता है मदरसे इस्लाम की सेवा करने के बजाय आज धर्म को नुकसान पहुँचा रहा है। इसलिए मदरसों को आधुनिकता की जरूरत है। यह नहीं कहा जा सकता है कि धार्मिक या दीनी शिक्षा गैरजरूरी है लेकिन इसके साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है जो मुसलमानों को शर्तीया तौर पर चाहिए।

जब कभी मदरसों के आधुनिकीकरण की माग उठती है तो मुस्लिम धार्मिक नेता इसके खिलाफ हाय तोबा मचाने लगते हैं। इस्लाम खतरे में है, का नारा मस्जिदों और बड़े मदरसों से उठना शुरू हो जाता है और इनके नुमाइदे कोशिश करने लगते है कि सुधार की किसी भी कोशिश को किस तरह रोका जाए। मदरसों को मुस्लिम पहचान का विषय बनाना मुस्लिम वर्ग को सिर्फ शैक्षिक नुकसान पहुँचा सकता है। इसी भावना के तहत मुसलमानों के एक वर्ग ने खुद ही मदरसों के पाठयक्रम में बदलाव की माँग शुरू कर दी है, ताकि उसे समकालीन आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जा सके। अब मुसलमानों के बीच शिक्षा को लेकर प्यास पैदा हो रही है। मुसलमान माता – पिता भी अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के उपर जोर दे रहे हैं। दी नेशनल काउंसिल आँफ माइनारिटी एजुकेशनल इंम्टीटयूशन ने भी एक रिपोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि देश में मदरसा शिक्षा में सुधार की जल्द से जल्द कोशिश होनी चाहिए। इसलिए इस्लाम को बचाना है और इस्लाम को आधुनिक बनाना है तो हमें मदरसों को आधुनिक बनाना ही होगा। अपने बच्चों को हथियार के स्थान पर उनकी हाथों में कलम पकड़ाना होगा। दुनिया में हथियार वाले कौम का क्या हस्र हुआ है यह सब देख रहे हैं। इसलिए हमें इस दिशा में सोचना चाहिए।

प्राकृतिक कृषि राज्य बनने की ओर बढ़ते हिमाचल के कदम

शिमला। प्रदेश की खेती को जहरमुक्त करने व स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए सरकार के प्रयास रंग दिखाने लगे हैं। प्रदेश के किसान सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को अपना रहे हैं जिसमें प्रदेश की महिलाएं अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। बड़े पैमाने पर लोग एकल रूप में और स्वयं सहायता समूह बनाकर प्राकृतिक विधि से हरी सब्जियों व अन्य फसलों को उगाने लगे है।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2664 पंचायतों में योजना को लागू किया जा चुका है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 44325 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसके लिए विभिन्न स्थानों पर लगभग 1031 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। निर्धारित 50 हजार किसानों के लक्ष्य के मुकाबले 39124 किसान प्रदेश में प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगभग 1650 हैक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्रदेश के सभी 9.61 लाख किसान परिवारों को 2022 तक प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2019 में 50,000 किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वहीं 2020 में दो लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जिला मंडी के करसोग क्षेत्र के पांगणा गांव ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। गांव के लगभग 20 कृषक परिवारों की महिलाएं सब्जी उत्पादन कार्य से जुड़ी हैं। जिला शिमला की घैणी व पाहल पंचायत की महिलाओं ने प्राकृतिक सब्जियां उगाने के लिए विलेज आर्गेनाइजेशन हिमालय संस्था का गठन किया है। घैणी पंचायत में 8 स्वयं सहायता समूह गठित किए हैं। यह समूह पंचायत के हलोट, सनौर, चटयाड, जेलीधार, दायला व बेई गांव में गठित किए गए हैं। पाहल पंचायत के पांच गांवों टभोग, बमोत, बाग इत्यादी में लगभग 120 लोग प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं जिसमें लगभग 80 महिलाएं शामिल हैं। समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने-अपने खेतों में प्राकृतिक विधि से हरी सब्जियां उगा कर अपने समूह के माध्यम से ही मार्केट में लोगों को भी उपलब्ध करवा रही है।

घैणी पंचायत में गठित स्वयं सहायता समूह जय मां कनक धारा की सचिव प्रोमिला ठाकुर ने बताया कि पंचायत के विभिन्न गांवों में गठित स्वयं सहायता समूहों से लगभग 80 महिलाएं जुड़ी है, जो प्राकृतिक सब्जियां उगा रही है। प्राकृतिक सब्जियों उगाने में कीटनाशक दवाईयों, खाद इत्यादी के स्थान पर गाय के गोबर, गौमूत्र इत्यादी का प्रयोग कर उससे विशेष खाद तैयार की जाती है।

प्राकृतिक खेती को अपनाने में युवा भी आगे- ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों के अलावा अन्य फसलों को भी किसान अब प्राकृतिक विधि से उगाने लगे है जिसमें युवा वर्ग भी आगे आया है। बिलासपुर जिला के घुमारवीं ब्लॉक के अजय रत्न ने सहायक अभियंता की नौकरी छोड़कर लगभग दो हैक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती को अपनाया है। सिरमौर जिला के नाहन ब्लाक के दो युवा हरिंद्र और अर्जुन अत्री गेहूं, चना, जौ तथा लहसुन की खेती कर रहे है। वे मार्केटिंग करने के लिए सोशल मिडिया का सहारा लेकर अपनी सब्जियों व अन्य फसलों के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक कर प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा सके। वहीं इसी जिला की पांवटा ब्लॉक की जसविंद्र कौर ने अपने पूरे परिवार सहित प्राकृतिक खेती को अपनाया है और लगभग सात बीघा जमीन पर ब्रोकली सहित अन्य नगदी फसलों को उगा रहे है। जिला सोलन के गंबरपुल के शेर सिंह, धर्मपुर ब्लॉक के संजीव और सोहन लाल ने गोभी तथा लहसून की खेती को अपनाया है। सोहन लाल ने इस खेती में 1490 रुपए खर्च करके 60 हजार रुपए का मुनाफा इसी सीजन में कमा कर मॉडल प्रस्तुत किया है। उना के मनजीत सिंह ने आईटी इंजीनियर की नौकरी छोड़ पॉलीहाउस और बाहर खेतों में हरी सब्जियां उगाकर जिला के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। जिला कुल्लू के बंजार वैली के लगभग 28 बागवानों ने समूह बना कर अपने बगीचों को प्राकृतिक खेती में बदल दिया है। हमीरपुर जिला के भोरंज ब्लॉक के दयोट गांव में किसानों ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाया है और लगभग 12 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं, चना तथा मटर उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। शिमला जिले के चौपाल ब्लॉक के निवासी सूरत राम, चिड़गांव के अनिल कुमार, रोहड़ू के सुभाष चौहान ने भी अपने सेब के बगीचों को प्राकृतिक खेती में बदलकर हरी सब्जियों को उगाने की ओर कदम आगे बढ़ाए हैं।

योजना के अर्न्तगत सरकार की ओर से लोगों को गाय खरीदने के लिए 50 फीसदी अनुदान जो कि अधिकतर 25 हजार रूपये है, दिया जा रहा है। गौशाला में गोमूत्र एकत्रीकरण के लिए फर्श को पक्का करने के लिए 8 हजार रूपये व तीन प्लास्टिक के ड्रम उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

प्रदेश के कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने बताया कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पद्धति को शुरू किया है जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगभग 1650 हैक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। राज्य सरकार ने 2022 तक प्रदेश के सभी 9 लाख 61 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़कर पूरे देश में हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक कृषि राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।

शहरी गरीब परिवारों के सामाजिक–आर्थिक विकास की ओर सशक्त कदम

शिमला। दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कारगर साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत क्षमता का विकास करना है। इस योजना के तहत उन्हें प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता के माध्यम से स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे आजीविका अर्जन कर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।

दीन दयाल अन्त्योदय योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों के 2293 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 1780 स्वयं सहायता समूहों को रिवोल्विंग फंड भी प्रदान किया जा चुका है। 103 एरिया लेवल फैडरेशन का गठन भी किया गया है तथा उनमें से 74 को रिवोल्विंग फंड प्रदान किया गया है।

इस योजना के तहत लघु उद्यम स्थापित करने के लिए 1646 लाभार्थियों को कम ब्याज दर पर 22.15 करोड़ रुपये का ऋण तथा 424 स्वयं सहायता समूहों को 6.13 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया है। 4282 लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 813 लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

यह योजना, रेहड़ी-फड़ी का कार्य करने वाले गरीब परिवारों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। इसके तहत सभी 54 शहरी निकायों में रेहड़ी-फड़ी वालों का सर्वेक्षण किया गया है। 5000 रेहड़ी-फड़ी वालों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 2822 को पहचान पत्र भी जारी किए जा चुके है।

इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के गरीबों को आश्रय प्रदान करने के लिए भी दक्षतापूर्ण कार्य किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में 06 आश्रयों का निर्माण किया गया है तथा पुराने रैन बसेरों का नवीकरण भी किया गया है। प्रदेश में अभी तक 4032 आश्रयहीन लोगों को आश्रय प्रदान किया जा चुका है।

दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी मिशन के तहत मुख्यत: छ: घटक सम्मिलित किए गए हैं। इसमें कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोज़गार, सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास, क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण, स्वरोजगार कार्यक्रम, शहर आवासहीन गरीबों के लिए आश्रय तथा शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता घटक प्रमुख हैं।

सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास घटक का उद्देश्य लाभार्थी परिवार के सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास करना है। स्वयं सहायता समूहों को गठन के तीन माह तक सफल संचालन के बाद 10 हजार रुपये रिवोल्विंग फंड दिया जा रहा है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों का एक एरिया लेवल फेडरेशन बनाने का भी प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत आंतरिक लेन-देन (क्षमता) विकास के लिए 50 हजार रुपये रिवोल्विंग फंड दिया जाएगा।

कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के तहत राष्ट्रीय कौशल योग्यता के मानकों एवं सेक्टर स्किल कौंसिल के मानकों के अनुरूप गरीब लोगों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में सूचीबद्ध संस्थाओं अथवा सेक्टर स्किल कौंसिल से प्रमाणित संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोज़गार कार्यक्रम घटक के तहत शहरी गरीबों के कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता के आधार पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल व्यक्तिगत/सामूहिक व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर केन्द्रित हैं।

इसमें शहरी एकल गरीबों व गरीब लोगों के स्वयं सहायता समूहों को बैंक से आसान ऋण और स्वयं सहायता समूह के ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।

इस योजना के तहत पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण व उन्हें पहचान-पत्र प्रदान किए जा रहे हैं और शहर में वेंडिग जोन का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। योजना के एक अन्य घटक शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना के तहत शहरी आवास रहित लोगों के लिए शैल्टर बनाए जा रहे हैं, जिनमें प्रतिव्यक्ति 50 वर्ग फीट की जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत पुराने रैन-बसेरों का पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है। शैल्टर में गरीब लोग, जो रहने खाने की व्यवस्था करने में असमर्थ होंगे उनके लिए मुफ्त रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की यह योजना शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवार के सामाजिक-आर्थिक विकास की राह प्रशस्त कर संजीवनी साबित हो रही है। दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए हिमाचल प्रदेश को इस वर्ष उत्तर पूर्व क्षेत्र और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल

शिमला। समावेशी समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार एक स्वस्थ समाज के निर्माण में बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास भी आवश्यक है। प्रदेश सरकार द्वारा इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा विकास व सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनाने और उन्हें सशक्त व सक्षम बनाने के लिए प्रभावशाली योजनाएं आरंभ की गई हैं।

बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार में जन्म लेने वाली बालिका को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान सहायता राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया है। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अंतर्गत दो बच्चों के पालन-पोषण पर दी जाने वाली सहायता राशि को गत वर्षो में 4000 रुपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6000 रुपये किया गया। इस योजना के तहत गत दो वर्षो में 45,820 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

बेसहारा लड़कियों के विवाह के लिए सहायता प्रदान करने के लिए आरम्भ की गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया गया तथा 8206 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया। महिला स्वरोजगार सहायता योजना के अंतर्गत 35 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को आय संवर्धन के लिए 5 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

स्वस्थ मां और स्वस्थ बच्चों की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ पोषण अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पांच श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये पुरस्कार व्यक्तिगत कार्य के लिए, ग्राम स्तर पर संयुक्त प्रयास के लिए, ग्राम स्तरीय समन्वय समिति के लिए, जिला स्तरीय उत्कृष्ट कार्य व नेतृत्व प्रदान करने के लिए तथा राज्य स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतर प्रचार-प्रसार के लिए दिए गए हैं।

प्रदेश में बालिकाओं व किशोरियों के सशक्तिकरण तथा उनके खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 'सक्षम गुड़िया बोर्ड' गठित किया गया। 11 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की किशोरियों व महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने व उनका कौशल विकास करके आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से आरम्भ सशक्त महिला योजना को प्रदेशभर में लागू किया गया। इस योजना के तहत गत दो वर्षो में सभी 3226 पंचायतों तथा नगर निगम व नगर पंचायतों में 93 महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए गए।

गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आरम्भ की गई प्रधनमंत्री मातृ वंदना योजना में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए वर्ष 2018 में हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को तीन किश्तों में 5-5 हजार रुपये नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। जनवरी, 2018 से 27 दिसम्बर, 2019 तक 1,15,387 लाभार्थियों के खातों में 48.57 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई।

महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनकी सुरक्षा के लिए नीतियों के बारे में सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महिला कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। प्रदेश में संचालित 18925 आंगनवाड़ी केन्द्रों में औसतन 79,000 बच्चों को अनौपचारिक शालापूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है। गत दो वर्षो में 70 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण तथा स्तरोन्यन के लिए सात करोड़ रुपये व्यय किए गए।

मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत बाल एवं बालिका आश्रमों के बच्चों को 8वीं से जमा दो तक की परीक्षाओं में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को वित्त वर्ष 2019-20 में दस हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। बाल एवं बालिका आश्रमों के ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास आश्रम छोड़ने पर रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, के लिए आफ्टर केयर होम बालिका आश्रम टूटीकंडी तथा अर्की में 2019-20 में स्थापित किए गए हैं।

विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले रसोइयों को सम्मानित करेगी प्रदेश सरकारः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला मण्डी के करसोग क्षेत्र के तत्तापानी में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित पर्यटन उत्सव तथा राज्य स्तरीय मकर संक्रांति मेले के दौरान विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए तत्तापानी में 3.50 करोड़ रुपये व्यय कर आधुनिक केफेटएरिया खोला जाएगा तथा ई-टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि 25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली जल आपूर्ति योजना अगले दो वर्षों के भीतर पूरी कर दी जाएगी। इससे क्षेत्र की 11 पंचायतों की पानी की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि तत्तापानी के समृद्ध इतिहास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार इस क्षेत्र को जल क्रीड़ा के प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि तत्तापानी को पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि शिमला आने वाले पर्यटकों को तत्तापानी आने के लिए प्रेरित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग ने एक ही बर्तन में 1995 किलोग्राम खिचड़ी बनाकर इतिहास रचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस विश्व रिकॉर्ड खिचड़ी बनाने वाले रसोइयों को सम्मानित करेगी।

उन्होंने कहा कि पर्यटन की अपार सम्भावनाएं होने के अलावा तत्तापानी श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है, जहां देशभर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हाल ही में लोकसभा के आम चुनावों में प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का वोट शेयर देशभर में सबसे अधिक था और वोट प्रतिशत में सबसे अधिक जीत का अन्तर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद किशन कपूर ने हासिल किया था। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश की जनता के पूर्ण समर्थन को जाता है।

मुख्यमंत्री ने समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और प्रदेश की संस्कृति के प्रति अपने प्रेम के सम्बन्ध में कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नाटी न केवल तीन वर्षों के दौरान, बल्कि अगले पांच वर्षों तक भी निर्बाध रूप से चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी नाटी में भाग लेने पर कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के लिए इन नेताओं की अनादर की भावना को दर्शाती है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का सफल आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि अब तक 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो 96000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 27 दिसम्बर को प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 13600 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना की 'ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी' की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद-370 को हटाने से भारत का एक झण्डा, एक संविधान और एक राष्ट्र का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि श्री राम मन्दिर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अयोध्या में एक भव्य राम मन्दिर का निर्माण सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय की सभी ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम से जनता की समस्याओं का समाधान उनके घरद्वार के निकट सुनिश्चित हो रहा है। प्रदेश की जनता की समस्या के त्वरित समाधान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अब प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना-1100 का शुभारम्भ किया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है और प्रदेश के लोग इस निर्णय में केन्द्र के साथ है क्योंकि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले भेदभाव से ग्रस्त अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों, जो इन देशों से अत्याचार के कारण यहां आए है उनके लिए है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम उपरोक्त हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास है ताकि उनके प्रवास या नागरिकता की स्थिति को लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो और उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से रोका न जा सके।

मुख्यमंत्री ने सरताला में उप स्वास्थ्य केन्द्र और तत्तापानी क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए 15 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने तत्तापानी-चुराग सड़क में ब्लैक स्पॉटस के सुधारीकरण और तत्तापानी में भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त हैलीपैड के निर्माण की भी घोषणा की।

जय राम ठाकुर ने चाबा में पैदल चलने वाले पुल के रख-रखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खील में भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने शाकरा गांव के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 10 लाख रुपये और क्षेत्र के अनुसूचित जातियों बहुल तीन गांवों के लिए 10-10 लाख रुपये की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने वृद्धाश्रम बसन्तपुर और बालिका आश्रम सुन्नी का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ने तत्तापानी पर्यटन समारोह का उद्घाटन किया और सतलुज आरती में भाग लिया। इस अवसर पर लगभग 3000 दीप जलाए गए।

मण्डी के सासंद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि तत्तापानी एक ऐतिहासिक स्थल है और यहां जलक्रीड़ा की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने तत्तापानी से शिमला के लिए इलैक्ट्रिक बस सेवा आरम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस स्थल पर आने वाले पर्यटकों को इस सुविधा का लाभ होगा।

करसोग के विधायक हीरा लाल ने मुख्यमंत्री का अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में इस क्षेत्र अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में राज्य ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 2.65 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिससे हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना, जहां पर हर घर में गैस कनेक्शन उपलब्ध हैं और यह देश का पहला धुंआरहित राज्य बन गया है।

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक युनुस ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यटन विभाग तत्तापानी को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए प्रयासरत है।

शीघ्र सुलझाई जाएंगी पानी के बिलों से सम्बन्धित समस्याएंः सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला जल प्रबंधन निगम के साथ बैठक की जिसमें शिमला शहर के वासियों को प्राप्त पानी के बढ़े हुए बिलों पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शिमला जल प्रबंधन निगम को इन बिलों की जांच करने तथा उचित कदम उठाने को कहा।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान सरकार ने लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में हर संभव प्रयास किए हैं। पानी मानव जीवन के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है तथा इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। शिमला में लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला शहर के लिए एक हजार करोड़ रुपये की विश्व बैंक पोषित जलापूर्ति परियोजना को वर्ष 2023 तक शिमला जल प्रबन्धन निगम द्वारा पूर्ण किया जाएगा।

इस अवसर पर शिमला जल प्रबंधन निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्मेन्द्र गिल ने कहा कि लोगों द्वारा पानी के बिलों से सम्बन्धित मामलों को शीघ्र सुझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से पानी के बिल बढ़े है तथा इसमें शीघ्र ही सुधार किया जाएगा।

स्वतंत्र निदेशक, शिमला जल प्रबंधन निगम दिग्विजय चौहान ने शिक्षा मंत्री को विश्वास दिलाया कि पानी के बिलों में अनियमितता पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घरेलू, व्यावसायिक तथा निर्माण कनैक्शन के अतिरिक्त अन्य विकल्प पर विचार किया जाएगा ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।

निवेश के आधार को सुनिश्चित करने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करें अधिकारीः मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन वाली प्रत्येक प्रमुख परियोजना के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटर के पश्चात् 7,242 करोड़ रुपये के निवेश के 139 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे कुल निवेश एक लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन परियोजनाओं पर सही तरीके से कार्य शुरू किया जाए जिनका प्रदर्शन 'ग्राउंड ब्रेकिंग' समारोह में किया गया था ताकि धरातल पर उन परियोजनाओं पर कार्य हो सकें।

जय राम ठाकुर ने कहा कि विदेशी निवेशकों को प्रदेश में अपने उपक्रम शुरू करने का विश्वास दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे है ताकि इन परियोजनाओं को आरम्भ कर निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि 986 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ नीदरलैण्ड के उद्यमियों के साथ आठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जर्मनी के निवेशकों के साथ एक समझौता ज्ञापन, 1900 करोड़ रुपये के निवेश के साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ सात समझौता ज्ञापनों और मलेशिया के साथ 100 करोड़ रुपये के निवेश के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों को विदेशी निवेशकों के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो इनके साथ लगातार सम्पर्क में रहेंगे ताकि उन्हें अपने उपक्रम शुरू करने के लिए विश्वास दिलाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को वास्तव में निवेश के आधार को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के अलावा समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने

उद्यमियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि रिलायंस, टाटा, महेंद्रा, गोदरेज आदि बड़े औद्योगिक घरानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वे जल्द से जल्द अपने उद्यम शुरू कर सकें।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष जून माह में होने वाले दूसरे 'ग्राउंड ब्रेकिंग' समारोह के लिए समझौता ज्ञापनों को निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के वास्तविक निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन उद्यमियों ने समझौता ज्ञापनों पर पहले से ही हस्ताक्षर कर दिए है उनकी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

27 दिसम्बर, 2019 को हुए प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने न केवल निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया है बल्कि 13656 करोड़ रुपये के निवेश को भी हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों को उनकी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सम्बन्धित विभागों और नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया और मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि उद्योग विभाग उद्यमियों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को धरातल पर लाने के लिए अन्य विभागों के साथ मिलकर कार्य करेगा।

मादक द्रव्यों पर प्रतिबन्ध के लिये नशा निवारण बोर्ड गठित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि राज्य में मादक द्रव्यों पर प्रतिबन्ध के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस बोर्ड में मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिव गृह, आबकारी एवं कराधान, राजस्व, वन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस महानिदेशक अधिकारिक सदस्य होंगे जबकि राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त सदस्य सचिव होंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी शर्मा, प्रकाश भारद्वाज, बीरबल शर्मा और भानू पी. लोहमी, अर्जुन पुरस्कार विजेता डीएसपी अजय शर्मा, आबकारी एवं कराधान विभाग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त संजय भारद्वाज, आईजीएमसी शिमला के पूर्व प्रधानाचार्य डॉ. रवि शर्मा और श्रीराम अस्पताल शिमला के सीईओ अंकुर चौहान इस बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य होंगे।

उन्होंने कहा कि चण्डीगढ़ जोन के नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधीक्षक, आईएनएसए, नई दिल्ली के सदस्य ओम प्रकाश को इस बोर्ड का संयोजक एवं सलाहकार नियुक्त किया गया है। संयोजक एवं सलाहकार और गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। बोर्ड का मुख्यालय शिमला में होगा।

यह बोर्ड राज्य में विभिन्न दवाओं और नशीली दवाओं की प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सह-समन्वयक के रूप में कार्य करेगा। बोर्ड अन्तरराज्यीय स्तर पर मादक द्रव्यों की तस्करी, उत्पादन और वितरण रोकने के लिए सुझाव भी देगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

shailsamachar.co.in

क्या लोकसेवा आयोग में अगली नियुक्ति से पहले नयी प्रक्रिया अधिसूचित हो पायेगी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश लोकसेवा आयोग की सदस्य समीति मीरा वालिया की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि मीरा वालिया की नियुक्ति पूरी तरह संविधान में तय प्रक्रिया अनुरूप हुई है और उसमें कुछ भी अवैध नही है। स्मरणीय है कि मीरा वालिया की नियुक्ति प्रदेश विधानसभा के लिये दिसम्बर 2017 में हुए चुनावों से बहुत पहले हुई थी लेकिन भाजपा ने 2017 के चुनावों में इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाया था और अपने आरोप पत्र में भी इसे प्रमुख स्थान दिया था। भाजपा का आरोप था कि यह नियुक्ति तय नियमों के अनुरूप नही हुई है। बल्कि जब ला स्टूडैण्ट हेम राज ने इसे चुनौती दी थी तब भी यह चर्चा उठी थी कि इस याचिका के पीछे अपरोक्ष में भाजपा नेतृत्व का ही हाथ है। इस परिप्रेक्ष में आज प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में नियुक्ति वैध ठहराना और इसे चुनौती देने वाले की नीयत पर गैर ईमानदारी की अदालत द्वारा टिप्पणी किया जाना अपने में बहुत कुछ कह जाता है।

गौरतलब है कि संविधान की धारा 316 से लेकर 320 तक लोकसेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति, उनके दायित्वों और उनको हटाये जाने की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके मुताबिक नियुक्ति किया जाने वाला व्यक्ति सरकार और महामहिम राज्यपाल की नजर में इसके लिये पात्र होना चाहिये। इस पात्रता में केवल यही शर्त है कि आयोग के कुल सदस्यों की संख्या का आधा भाग ऐसे लोगों का होना चाहिये जो इस नियुक्ति से पूर्व कम से कम दस वर्ष तक राज्य सरकार की सेवा में रहे हों। आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है और इसके लिये भी पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सदस्य के खिलाफ लगे आरोपों की जांच किया जाना आवश्यक है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आयोग के सदस्यों को हटाने के लिये जितना कड़ा प्रावधान किया गया है उतना उनकी नियुक्ति के लिये नहीं है आयोग में प्रदेश के मुख्य सचिव सेना के सेवानिवृत जनरल से लेकर सरकार के विभाग के उपनिदेशक तक को नियुक्तियां मिलती रही हैं। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नियुक्तियां अधिकांश में राजनीतिक नेतृत्व की ईच्छानुसार ही होती हैं। क्योंकि सरकार में दस वर्ष की सेवा का प्रावधान रखते हुए यह नही कहा गया है कि सेवा किस स्तर की होनी चाहिये।

आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई बहुत कड़े नियम न होने के कारण इस संबंध में समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं आ चुकी हैं। वर्ष 1985 से लेकर 2013 तक छः याचिकाएं आयी हैं। जिनमें यह निर्देश दिये गये हैं कि इन नियुक्तियों को लेकर ठोस प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2013 में दिये गये निर्देशों के बाद ही हिमाचल लोकसेवा आयोग के वर्तमान चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन हिमाचल सरकार ने इन निर्देशों के अनुसार प्रदेश में अलग से आज तक कोई प्रक्रिया तय नही की है। इसलिये यह माना जा रहा था कि मीरा वालिया की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका से पूरा लोकसेवा आयोग प्रभावित होगा। लेकिन जो याचिका दायर की गयी थी उसमें मीरा वालिया की नियुक्ति को उसके खिलाफ एक समय दायर हुए भ्रष्टाचार के मामले के आधार पर चुनौती दी गयी थी जबकि यह मामला नियुक्ति से बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था और इसे किसी ने भी अगली अदालत में चुनौति नही दी थी। अब जिस हेमराज ने मीरा वालिया की नियुक्ति को चुनौती दी थी वह इससे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नही होता था। इस नाते उसका इसी नियुक्ति को चुनौती देना नही बनता था। यदि उसने सभी नियुक्तियों को एक बराबर चुनौती दी होती तो पूरा परिदृश्य ही अलग हो जाता। हेमराज ने इस नियुक्ति को चुनौती देने के साथ ही यह आग्रह किया था कि ऐसी नियुक्तियों के लिये सरकार को ठोस प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिये जायें। उच्च न्यायालय ने इस आग्रह को मानते हुए सरकार को निर्देश दिये हैं कि इस बारे में अतिशीघ्र विस्तृत प्रक्रिया तय की जाये। उच्च न्यायालय के इन निर्देशों के बाद यह देखना रोचक होगा कि क्या जयराम सरकार आयोग में अगली नियुक्ति से पहले ऐसी प्रक्रिया अधिसूचित कर पाती है या नही।

यह है निर्देश

The High Court of Himachal Pradesh today dismissed the petition, challenging the order of appointment of Smt.Meera Walia as a Member of Himachal Pradesh Public Service Commission.

While disposing of the petition filed by one Shri Hem Raj, a law student, Division Bench comprising the Chief Justice L. Narayana Swamy and Justice Jyotsna Rewal Dua stated that the appointment of respondent has been made by adopting and following the due procedure as mandated by the Constitution of India and the respondent has also been discharged by the Special Judge in FIR on the allegations of corruption. The Court said that it is held that the petitioner has not come to the Court with clean hands, but the Court refrained itself from imposing cost on the petitioner for filing such petition, for being a law student and law abiding citizen.

The Court said that it hopes that the State of H.P. must step in and take urgent steps to frame memorandum of Procedure,administrative guidelines and parameters for the selection and appointment of the Chairperson and Members of the Commission, so that the possibility of arbitrary appointments is eliminated.

The petitioner had challenged the appointment of Meera Walia as a member of H.P. Public Service Commission alleging it to be in violation of the constitutional provisions as well as law laid down by the Hon'ble Apex Court. The petitioner had also alleged that an FIR was lodged against Meera in the State Vigilance and Anti Corruption Bureau Shimla under sections 13 (1) (e) and 13 (2) of the Prevention of Corruption Act in the year 2008 and a challan was also filed in the court of Special Judge(Forests), Shimla, but in the year 2013, the State presented the supplementary report in the court of Special Judge(Forests), Shimla, stating that no case of disproportionate assets was made out against the accused on the basis of which Meera Walia was discharged on 9 September 2014. He had alleged that the state government ignored all these facts and appointed Meera as a member in Himachal Pradesh Public Service Commission.

He had prayed that the order dated 5.5.2017, appointing Meera Walia as a Member of Himachal Pradesh Public Service Commission may be quashed and set aside and the respondent State may be directed to frame guidelines or parameters for the appointment of Chairman and Members of the H.P. Public Service Commission.

अब पटवारियों का चयन भी आया सीबीआई के शिकंजे में

उच्च न्यायालय ने दिये जांच के निर्देश

शिमला/शैल। पेपर सेटिंग में धूर्तता बरतने का अंदेशा जताते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच के आदेश देते हुए तीन महीने में जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को निर्धारित की है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तिरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति चंदर भूषण बारोवालिया ने इन आदेशों की प्रती एसपी सीबीआई को फैक्स व रजिस्ट्री के जरिए भेजने के निर्देश दिए है।

जयराम सरकार में पिछले से 1194 पटवारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। इनके पदों के लिए हुई पटवारी की परीक्षा में आवेदकों ने तरह-तरह के इल्जाम लगाए थे। सरकार ने इन पटवारियों की नियुक्ति कर भी दी है लेकिन नवंबर महीने में एक आवेदक ने हाईकोर्ट में इन भर्तियों के खिलाफ याचिका दायर कर दी।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इल्जाम लगाया था कि पटवारी भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में सौ प्रश्नों में से 43 प्रश्न वही पूछे गए थे जो जेबीटी परीक्षा में भी पूछे गए थे। खंडपीठ ने इस इल्जाम पर जवाब मांगा था लेकिन सरकार ने इस बावत कोई जवाब नहीं दिया। इस पर खंडपीठ ने एक सप्ताह के भीतर पूरक हलफनामा दायर करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों की पालना करते हुए लैंड रिकार्ड निदेशालय ने दायर अपने हलफनामें में स्वीरकार किया कि सौ में से 43 प्रश्न वही थे जो जेबीटी परीक्षा में पूछे गए थे। खंडपीठ ने कहा कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता कि प्रश्न बैंक में लाखों प्रश्न होने के बावजूद पहले वाली पारीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही किसी दूसरी परीक्षा में पूछ लिए जाएं।

खंडपीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि पटवारी परीक्षा के लिए सेट किए पेपरों में कुछ चिन्हित अभ्यार्थियों को मदद करने की मंशा से कुछ धूर्तता की गई हो। हालांकि अदालत के पास अभी इस बावत कोई निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि तमाम तथ्यों की जांच सीबीआई करे।

ऐसे में सीबीआई इस आदेश में जो आब्जर्व किया गया है उससे बिना प्रभावित हुए मामले की निष्पक्ष जांच करे। अदालत ने जांच रिपोर्ट को अगली सुनवाई से पहले अदालत में सौंपने के आदेश भी दिए हैं।